न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 05 / 2020

अपीलान्टस

1. कालाराम
2. जोईताराम
3. बेसराराम
4. सोनाराम पुसरान रतनाजी
5. प्रभूराम पुत्र अचलारामजी तमाम जातियान रेबारी निवासीयान मारूवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

रेस्पोडेण्टस

ग्राम पंचायत रतनपूर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुर पंचायत समिति रानीवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 671 दिनांक 15.10.2020

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 1 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 10.08.2021

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 671 दिनांक 15.10.2020 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मारूवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी नवीन खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हेक्टेयर में से अपीलाण्टस संख्या 1 से 4 ने अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये पंजीबद्व बेचान दस्तावेज दिनांक 25.06.2020 के अपीलाण्ट संख्या 5 को कीमतन बेचान किया था। अपीलाण्टस संख्या 5 के पक्ष में उक्त आराजी बाबत निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 25.06.2020 के आधार पर अपीलाण्ट संख्या 5 के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 671 भरा गया परन्तु ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.10.2020 के द्वारा उक्त म्यूटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत किया गया।

2. ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा उक्त म्यूटेशन खारीज करते वक्त मुख्य आधार मौके पर विवाद होना बताया हैं, जबकि मौके पर विवाद होने संबंधित कोई मौका फर्द उक्त म्यूटेशन अस्वीकृत करने से पूर्व मुर्तिब नहीं की गई। तथा न ही मौका निरीक्षण किया गया। बिना किसी आधार के मौके पर विवाद होने का आधार मानकर उक्त म्युटेशन अस्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्याति भूल की हैं। ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट संख्या 5 के पक्ष में निष्पादीत बैचान दस्तावेज पर कोई गौर नहीं किया गया। जिससे भी ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने में भारी कानूनी व तथ्यात्मक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:55 IST
Reason: SelfAttested

भूल की है। तथा ग्राम पंचायत रतनपूर का म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने का आदेश काबिल खारीज है। ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने से पूर्व न तो अपीलाण्टस को कोई नोटिस दिया गया तथा न ही अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर दिया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत रतनुपर द्वारा म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने बाबत पारीत आदेश दिनांक 15.10.2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से काबिल खारीज है।

3. ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा दिनांक 15.10.2020 को उक्त म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत करने का आदेश पारीत किया गया हैं, जिससे अपीलाण्टस की अपील अंदर म्याद पेश है। अतः म्युटेशन अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत रतनपूर के आदेश दिनांक 15.10.2020 जिसके जरिये ग्राम मारूवाडा के म्युटेशन संख्या 671 को अस्वीकृत किया गया हैं, को अपास्त कर अपीलाण्टस संख्या 5 के पक्ष में निष्पादीत बैचान दस्तावेज दिनांक 25.06.2020 के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

4. रेस्पोडेण्टस की ओर से बाद तामिल समन लम्बे समय तक उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अपीलाण्टस वकील की बहस सुनी गई।

5. हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर अपीलाण्ट वकील के बहस के तथ्यों पर मनन किया। अपीलाण्टस द्वारा पंजीबद्व बैचान दस्तावेज दिनांक 25.06.2020 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्ता अपीलाण्टस संख्या 1 से 4 ने कृषि भूमि को बैचान की गयी है, जिसमे बैचानकर्ता द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित है।

'' हम कालाराम ,जोईताराम, बेसराराम ,सोनाराम पिसरान रतना कौम रेबारी साकिन मारूवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर ने मौजा मारूवाडा पटवार मण्डल रतनपुर में स्थित सामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 319 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म गै0मू0 रास्ता में से हमारे सम्पूर्ण 1/2 हिस्से अर्थात रकबा 0.0450 हेक्टेयर की आराजी का बैचान आज रोज आप खरीददार श्री प्रभूराम पुत्र श्री अचलाराम कौम रेबारी साकिन मारूवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर को विक्रय फरोक्त कर दिया गया है। अब उक्त आराजी आपकी सम्पति है। ''

उक्तानुसार बेचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 671 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसमें निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

''नामान्तरण संख्या 671 अस्वीकृत दिनांक 15.10.2020 में खसरा संख्या 309 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म गै.मू.रास्ता काश्तकार प्रभूराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/2 जाति रैबारी (देवासी) सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया। जिसमें दिनांक 02.09.2020 को भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट में जांच कर इन्द्राज सही पाया की रिपोर्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:55 IST
Reason: SelfAttested

गई। तथा दिनांक 15.10.2020 को सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा मौके पर विवाद होने के कारण नामान्तरण संख्या 671 को खारीज किया गया है।''

6. उक्त इन्द्राज के आधार पर पर सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा मौके पर विवाद होना बताकर उक्त म्यूटेशन खारीज किया गया है। इस बाबत रेस्पोडेण्टस सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा मौके पर विवाद हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। न हि जवाब दिया गया है। बैचान दस्तावेज दिनांक 25.06.2020 के अवलोकन से म्युटेशन का इन्द्राज किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 671 अस्वीकृत दिनांक 15.10.2020 के आदेश को अपास्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

7. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रतनपूर द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 671 अस्वीकृत दिनांक 15.10.2020 के आदेश को अपास्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्य 671 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड बैचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 202003439100572 दिनांक 25.06.2020 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:55 IST
Reason: SelfAttested